अध्याय-23

भूमि किराए का भुगतान न किया जाना

प्रत्येक पट्टाधारक या लाइसेंसी की जिम्मेदारी है कि वह पट्टा विलेख (लीज डीड)/पूरक पट्टा विलेख में उल्लेखित भूमि किराया या अतिरिक्त भूमि किराया (यदि हो) निर्धारित तिथियों पर जमा करे। ऐसा न किया जाना लीज डीड/लीज अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

उन मामलों में जिनमें लीज की शर्तों के उल्लंघन के कोई उदाहरण नहीं है तथा संपत्ति की पुनर्प्रविष्टि से पहले भुगतान कर दिया जाता है, पट्टा विलेख में भूमि के किराए के एरियर (बकाया) पर ब्याज की वसूली से संबंधित शर्त हो या न हो, भूमि किराया तभी स्वीकार किया जाएगा जब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित या अनुबंध की शर्तों में उल्लेखित भूमि किराए के एरियर (बकाया) पर ब्याज का भुगतान न कर दिया जाए।

उन मामलों में जिनमें केवल भूमि किराए का भुगतना न किये जाने के कारण पुनर्प्रविष्टि की गई है, पुनर्प्रविष्टि तभी निरस्त की जा सकती है जब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित या लीज डीड में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निर्धारित दर पर अर्थदंड की वसूली कर ली जाए।

उन मामलों में जिनमें संपितत की पुनर्पविष्टि अन्य शर्तों के उल्लंघन के कारण की गई है तथा उसके कारण भूमि किराया नहीं स्वीकार किया गया है, क्षिति संबंधी शुल्कों/अतिरिक्त शुल्कों तथा अन्य अर्थदंडों की वसूली हेत् सामान्य ब्याज दरें लागू होंगी।

नोट:

- (क) यदि वार्षिक भूमि किराया रु. 20/- से अधिक नहीं है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (ख) यदि पट्टाधारक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा भूमि किराए का चेक भेजा जाता है जिसे कैश नहीं कराया गया है, तो चाहे उसे पट्टाधारक के लिए तथा उसकी ओर से भेजा गया हो, बकाया भुगतान पर उस तिथि तक ही ब्याज लगाया जाएगा जिस तिथि को वह चेक कार्यालय में प्राप्त किया गया। चेक भुगतान में विलंब के कारण कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।